केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमाशुल्क अधिकारियों कर्मचारियों पर छापा मारा जाना

*279. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीमा-शुल्क विभाग में कोई छापा मारा गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे कुल कितनी राशि बरामद हुई; और

(ग) क्या सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारियों ने छापों के विरोध में हड़ताल की थी; यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ग) कलैन्डर वर्ष 1994 और 1995 के दौरान, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां रखने, रिश्वत की मांग करने तथा इसे स्वीकार करने आदि आरोपों के आधार पर 71 सीमाशुल्क अधिकारियों के आवासों तथा कार्यालयों की 49 तलाशियां ली गई थी। इन 71 अधिकारियों से बरामद की गई कुल राशि 7.62 लाख रु० है। इनके ब्यौरे नीचे विवरण में दिए गए हैं:

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	शामिल अधिकारियों की संख्या	ली गई तलाशियों की सं०	गिरफ्तार किए गए अधिकारियों की संख्या	वसूल की गई कुल राशि
1994	9	117	16	10	2,18, 917 रु०
1995	10	54	33	42	5,43,220 रु०
	27	71	49	52	7,62, 137 रु०

सितम्बर, 1994 में, मुम्बई सीमाशुल्क गृह में सभी संवर्गों के अधिकारियों ने तथा दिल्ली सीमाशुल्क गृह के कतिपय संवर्गों के अधिकारियों ने प्रदर्शन किए थे। सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा जिस तरह से आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों पर छापे मारे थे, उसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन किए थे। सीमाशुल्क अधिकारियों के रोष का कारण यह था कि तकनीकी मुद्दों पर भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी सीमाशुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण किए बिना ही छापे मार रहे थे अथवा छापे मारने अथवा तलाशी वारंटों के बिना आवासों की देने से पूर्व सीमाशुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं कर रहे थे। प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है।

Legal sanction to model code of conduct for election

*280. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to give legal sanction to model code of conduct for election; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) The proposal to give legal sanction to part VII of Model Code of Conduct is likely to be discussed again by the Gov-

emiment with leaders of various political parties.

New aviation policy

*1490. SHRI VIRENDRA KATARIA: SHRI RAHASBIHARI BARIK: SHRI MATANG SINH: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to formulate a comprehensive new aviation policy;

(b) if so, the salient features of the new aviation policy;

(c) the date by when the new policy is likely to be adopted; and

(d) the steps taken in this regard?

[3] THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI CM. IBRAHIM): (a) to (d) Aviation policy is evolved/amended on a continuing basis, keeping in view the experience gained and requirements of trade, commerce and travel & tourism.

विदेशी ऋणों की अदायगी हेतु भुगतान की गई धनराशि

1491. श्री विष्णु कान्त शास्त्री:
श्री वेद प्रकाश पी० गोयल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1995 में विदेशी ऋणों की अदायगी हेतु भुगतान किए गए 920 करोड़ (9.2 बिलियन) अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 1996 में इस प्रयोजनार्थ 1060 करोड़ (10.6 बिलियन) अमरीकी डालर का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1996—2000 की अवधि के दौरान अनुमानत: 4330 करोड़ (43.3 बिलियन) अमरीकी डालर की अदायगी की जाएगी; और

(ग) उक्त राशि को अदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान कुल ऋण शोधन अदायगियों (मूलधन और ब्याज) क्रमश: 10.995 बिलियन अमरीकी डालर और 12.6 बिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) होने का अनुमान है।

(ख) 1996-97 में विदेशी ऋण पर कुल ऋण शोधन अदायगियों के अनन्तिम अनुमान 14.5 बिलियन अमरीकी डालर हैं। 1997-98 से आगे के लिए कुल ऋण शोधन अदायगियां नये ऋणों के स्तर, विनिमय और अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दरों पर निर्भर करेगी।

(ग) सरकार एक विवेक सम्मत ऋण प्रबन्ध कार्य नीति का अनुसरण कर रही है जिसका उद्देश्य ऋण शोधन अनुपात को सुविधाजनक स्तरों तक कम करना है। इसके अन्तर्गत निर्यातों और अन्य चालू प्राप्तियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, कुल ऋण की वृद्धि में कमी करना, ऋण के मंहगे और अल्पकालिक घटक की वृद्धि में कमी करना और विदेशी निवेश जैसे गैर-ऋण सृजक अन्तर्प्रवाहों को बढ़ावा देना शामिल है।

Improving voting percentage of elections

1492. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government plans to take any steps to improve voting percentage in elections; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) the Election Commission of India has launched a National Voter Awareness Campaign, one of the objects of which is

to increase awareness of the right of franchise.

Commissioning of North-Eastern Institute for Health and Medical Sciences

1493. SHRI ONWARD L. NONGTDU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be please to state:

(a) whether the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute for Health and